समाचार-प्रकाशनार्थः-

कलेक्टर एवं प्रषासक द्वारा एसटीपी प्लांट व वर्कषॉप का निरीक्षण
पलसोड़ा वर्कषॉप में ओर अ धक पौधे लगाने के दिये निर्देष

रतलाम 21 अगस्त । पलसोड़ा में नगर निगम की नवीन वर्कशॉप व खेतलपुर में नि र्मत एसटीपी प्लॉट का निरीक्षण कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम ने निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया व निगम अ धकारियों के साथ कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरूषोत्तम ने सर्वप्रथम पलसोड़ा में नगर निगम की नवीन वर्कशाप का निरीक्षण कया। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वर्कशॉप की 2ण्50 हेक्टर भू म के सीमांकन हेतु नि र्मत की गई बाउण्ड्रीवॉल व कार्यालय हेतु नि र्मत कये गये कक्षों का अवलोकन कराया व बताया क वर्कशॉप को हरा-भरा कये जाने हेतु 350 से अ धक पौधो का रोपण कया गया है।

कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरूषोत्तम ने निर्दे शत कया वर्कशॉप परिसर में और अ धक पौधो का रोपण कया जाये ता क वर्षाकाल में पौधे पनप सकें साथ ही उन्होने निर्दे शत कया क वाहनों की निगरानी हेतु जीपीएस कन्ट्रोल रूम स्था पत कया जाकर कर्मचारी नियुक्त कया जाये।

इसके पश्चात कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरूषोत्तम ने खेतलपुर में नि र्मत सीवरेज एसटीपी प्लांट का निरीक्षण करने पर निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया क एसटीपी प्लांट का टेस्टींग कार्य प्रारंभ हो चुका है व ट्रीटेड (शो धत) जल के पुनः उपयोग हेतु ओवर हैड टेंक आवश्यक है। इस अवसर पर कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरूषोत्तम को पीडीएमसी के रेसीडेन्ट इंजीनियर तथा ठेकेदार के प्रोजक्ट इंजीनियरों द्वारा एसटीपी प्लांट की कार्य प्रणाली से अवगत कराया। कलेक्टर एवं

प्रशासक श्री पुरूषोत्तम ने निरीक्षण के दौरान निर्दे शत कया क एसटीपी प्लांट का पंहूच मार्ग शीघ्र बनाया जाये।
निरीक्षण के दौरान कार्यपालन यंत्री सर्वश्री सुरेशचन्द्र व्यासए जी.के. जायसवालए मोहम्मद हनीफ शेखए सहायक यंत्री श्री श्याम सोनीए उपयंत्री श्री मनीष तिवारीए योजना के ठेकेदार व इंजीनियर उपस्थित थे।

प्रत्येक वार्ड में हैण्ड स्प्रे मषीन से होगा कीटनाषक दवा का छिड़काव
प्रत्येक वार्ड हेतु एक-एक कर्मचारी कये रवाना
रतलाम 19 अगस्त । वधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप व कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नागरिकों को डेंगूए मलेरिया व वर्षा जनित बीमारियों से बचाने के लये नगर निगम द्वारा प्रत्येक वार्ड के लए एक-एक कर्मचारी नियुक्त कया गया है।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क नागरिकों को डेंगूए मलेरिया व वर्षा जनित बीमारियों से बचाने के लये निगम द्वारा कीटनाशक दवा छिड़काव का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है जिसके तहत प्रत्येक वार्ड के लए एक-एक कर्मचारी नियुक्त कया जाकर उन्हे हैण्ड स्प्रे मशीन तथा कीटनाशक दवा उपलब्ध कराई गई है। कर्मचारी अपने-अपने वार्डो में प्रतिदिन कीटनाशक दवा का छिड़काव करेंगे व इसका प्रमाणीकरण नागरिकों से लेकर स्वास्थ्य में उपलब्ध करायेंगे।
नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है क वे मच्छर जनित डेंगूए मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव हेतु अपने आसपासए गड्ढो में पानी एकत्रित ना होने दें साथ ही कूलर का पानी निय मत रूप से बदलेए पानी की टं कयांे को खुला ना छोड़ेंए खुले मटकेए ड्रमए टायर इत्यादि में पानी एकत्रित ना होने दें इसके अलावा अपने घरों से निकलने वाले कचरे को यहां-वहांए नाले-ना लयों में न डालते हुए निगम के कचरा संग्रहण वाहन में ही डालें साथ ही अपने आसपास जल भराव की स्थिति पैदा न होने दें तभी हमारा शहर साफ-स्वच्छ व सुन्दर होने के साथ डेंगू तथा मलेरिया जैसी बीमारियों से मुक्त रह सकेगा।

सद्भावना दिवस पर उपायुक्त ने निगम में दिलाई प्रतिज्ञा

रतलाम 19 अगस्त । भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के निर्देषानुसार 20 अगस्त को मोहर्रम का अवकाष होने से ष्सद्भावना दिवस’ ’ की प्रतिज्ञा 19 अगस्त गुरूवार को प्रातः 11ः00 बजे उपायुक्त श्री वकास सोलंकी ने नगर निगम सभागृह में निगम के अ धकारी एवं कर्मचारियों को दिलाई।
निगम अ धकारी एवं कर्मचारियों ने प्रतिज्ञा ली क ष मैं जाति सम्प्रदायए क्षेत्रए धर्म अथवा भाशा का भेदभाव कए बिना सभी भारतवा सयों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लये कार्य करने के साथ मैं हिंसा का सहारा लए बिना सभी प्रकार के मतभेद बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से सुलझाऊंगा।
इस अवसर पर निगम के अ धकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन कया जा रहा है वजन
19 अगस्त को 69 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा
रतलाम 19 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित कया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-ना लयों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन कया जाकर जुलवानिया टेª चंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 19 अगस्त गुरूवार को 69 टन कचरा जुलवानिया टेª चंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।
19 अगस्त गुरूवार को डम्पर व टेªक्टर ट्रॉली से 29320ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 22810ए काम्पेक्टर गीला 16500ए मैजिक 915 कलो इस तरह कुल 69545 कलो कचरा जुलवानिया टेª चंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

8 उ चत मूल्य की दुकानों पर बनेगें आज आयुष्मान कार्ड
नगर निगम द्वारा अब तक 7112 आयुष्मान कार्ड बनाये गये

रतलाम 19 अगस्त। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार आयुष्मान भारत ष्निरामयम' ' योजना अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र रतलाम के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड वार्डो की उ चत मूल्य की दुकानों पर बनाये जा रहे हैं।

20 अगस्त शुक्रवार को जयभीम प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार सुभाष नगरए अ भजीत प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार तेजा नगरए ववेकानन्द प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार थावरिया बाजारए चारभुजा प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार जवाहर नगरए माधव प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार शक्ति नगरए गंगोत्री महिला प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार जाटो का वासए रा धका महिला प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार कसारा बाजार व घनश्याम प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार लक्ष्मणपुरा में पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जायेंगे।

19 अगस्त गुरूवार को उक्त उ चत मूल्य की दुकानों पर 19 पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये गये। इससे पूर्व वार्डवार गठित दलों द्वारा 2543 कार्ड बनाये गये थे इस तरह अब तक 7112 आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं।

आयुष्मान कार्ड से शेष रहे पात्र हितग्राहियों से अपील की जाती है क वे आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु समग्र आईडीए आधार कार्डए खाद्यन्न पात्रता पर्ची के साथ उक्त उ चत मूल्य की दुकानों पर संपर्क कर कार्ड बनवाने की कार्यवाही संपादित करवायें।

निगम से संबं धत करो की बकाया रा श जमा कर अ धभार (पेनल्टी) में छूट प्राप्त करें

रतलाम 19 अगस्त । षासन निर्देषानुसार नोवेल कोरोना वायरस (को वड-19द्ध वैष्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रायः रोजगार में कमीए उद्योग-धन्धे में गरावटए स र्वस सेक्टर आदि में ष थलता परिल क्षत होने के फलस्वरूप निगम से संबं धत करोंए उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया रा ष एक मुष्त जमा कराने पर अ धभार (पेनल्टी) में 31 अगस्त 2021 तक छूट दी जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क संपत्तिकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 50ए000ध्‌ ;रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 100 प्रतिशत की छूटए संपत्तिकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 50ए000ध्‌ ;रूपये पचास हजार) से अ धक तथा रूपये 1ए00ए000ध्‌ ;रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 50 प्रतिषत की छूट व संपत्तिकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 1ए00ए000ध्‌ ;रूपये एक लाख) से अ धक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 25 प्रतिषत की छूट दी जा रही है।

इसके अलावा जलकर अ धभार की रा ष रूपये 10ए000ध्‌ ;रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूटए जलकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 10ए000ध्‌ ;दस हजार) से अ धक तथा रूपये 50ए000ध्‌ ;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 75 प्रतिषत की छूटए जलकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 50ए000ध्‌ ;पचास हजार) से अ धक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 50 प्रतिषत की छूट दी जा रही है।

इसी तरह नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/कराये की अ धभार सहित कुल देय रा ष रूपये 20ए000ध्‌ ;बीस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 100 प्रतिषत की छूटए अ धभार सहित कुल देय रा ष रूपये 20ए000ध्‌ ;बीस हजार) से 50ए000ध्‌ ;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 50 प्रतिषत की छूट तथा अ धभार सहित कुल देय रा ष रूपये 50ए000ध्‌ ;पचास हजार) से अ धक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 25 प्रतिषत की छूट दी जा रही है। उक्त छूट मात्र अ धभार पर लागू होगी तथा ब्याजए स्टॉप ड्यूटीए मूल करए मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक/कराये पर लागू नहीं होगी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है क संपत्तिकरए जलकर व नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/कराये की बकाया रा ष नगर निगम कार्यालय में जमा कर उक्तानुसार छूट प्राप्त करें।

12461 मवे शयों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

रतलाम 19 अगस्त । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवे शयों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवे शयों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अ भयान चलाया जा रहा है जिसके तहत 19 अगस्त तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 1261 मवे शयों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अ भयान के तहत 18 अगस्त रात्री मेें मुखर्जी नगरए बिरियाखेड़ी आदि क्षेत्रों से 4 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अ भयान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी कया गया है। शहरी क्षेत्र में मवे शयों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवे शयों का पालन कया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर रा श वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता

अर्थदण्ड रा श रूपये 500६ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवे शयों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए0पी0 संह के निर्देशन में स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

नगर निगम के पंेषनरो को देना होगा जी वत प्रमाण-पत्र

रतलाम 19 अगस्त । संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं वकास भोपाल के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष के माह दिसम्बर में जी वत प्रमाण-पत्र लया जावेगा।

नगर पा लक निगम रतलाम के समस्त पेंशनरों से अपील की जाती है क वे माह दिसम्बर 2021 से प्रत्येक वर्षान्त में जी वत प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में निगम की पेंशन शाखा में अनिवार्य रूप से जमा करावें जी वत प्रमाण-पत्र नहीं जमा कराने पर जनवरी से पेंशन भुगतान नहीं कया जावेगा।

पथ वक्रेता पी.एम. स्वनिधी के तहत 10 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त निगम के झोन कार्यालयों में आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 19 अगस्त । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ वक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है संकल्प से सद्धी वशेष अ भयान के तहत ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अपील की है क नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पथ वक्रेता जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत रा श रूपये 10ए000६ का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है वे नगर निगम के झोन कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉलए डॉ0 अम्बेडकर मांग लक भवन पोलोग्राउण्डए अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ वक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ वक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

नागरिक व दुकानदार को वड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 19 अगस्त । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु को वड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य कया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मा लकों से अपील की है क सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डस्टें संग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अ धक लोग इक` नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 19 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्दे शत कया है क वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबं धत झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया यदि कसी भी वार्ड में मक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबं धत कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्दे शत कया क प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया क दोनो पा लयों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्दे शत कया है क वे प्रतिदिन प्रमा णत करेंगे क उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 19 अगस्त । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/19ण्08ण्2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.